पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड

ऊर्जानिधि, 1, बाराखंबा लेन, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली वेबसाईट : **http:/wwwpfcindia.com**

सीआईएन एल65910डीएल1986जीओआई024862

दिनांक 31 दिसंबर 2016 को समाप्त होने वाली तिमाही और नौ माह के लिए अनंकेक्षित स्टैंडअलोन वित्तीय परिणामों का विवरण

(करोड़ रूपए में)

क्र. सं.	विवरण		समाप्त होने वाली तिमाही के लिए			समाप्त होने वाले नौ माह लिए		समाप्त होने वाले वर्ष के लिए
			31-12-2016	30-09-2016	31-12-2015	31-12-2016	31-12-2015	31-03-2016
			(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अनंकेक्षित)	(अंकेक्षित)
1)	प्रचालन से होने वाली आय							
	(क)	ब्याज से होने वाली आय	6,827.36	6,856.90	6,870.58	20,756.31	20,471.30	27,079.44
	(ख)	अन्य प्रचालन आय	182.81	71.49	120.70	287.85	297.36	394.21
		प्रचालन से कुल आय (निबल)	7,010.17	6,928.39	6,991.28	21,044.16	20,768.66	27,473.65
2)	व्यय							
	(क)	ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभार (प्रावधानों सहित)	4,185.11	4,293.88	4,622.61	12,945.60	13,432.88	18,212.83
	(ख)	कर्मचारी लाभ व्यय	28.90	26.38	23.48	80.54	68.94	90.37
	(ग)	मूल्यह्रास और ऋणमोचन	1.39	1.35	1.68	3.92	4.43	6.17
	(घ)	अन्य व्यय	28.38	14.37	11.11	218.42	180.19	194.28
		कुल व्यय	4,243.78	4,335.98	4,658.88	13,248.48	13,686.44	18,503.65
3)	अन्य आय और असाधारण मदों से पूर्व प्रचालन से लाभ (1-2)		2,766.39	2,592.41	2,332.40	7,795.68	7,082.22	8,970.00

4)	अन्य आय		52.91	71.37	2.82	177.34	8.66	90.66
5)	असाधारण मदों से पहले साधारण कार्यकलापों से लाभ (3+4)		2,819.30	2,663.78	2,335.22	7,973.02	7,090.88	9,060.66
6)	असाधारण मदें		--	--	--	--	--	--
7)	कर पूर्व साधारण कार्यकलापों से लाभ (5+6)		2,819.30	2,663.78	2,335.22	7,973.02	7,090.88	9,060.66
8)	कर संबंधी व्यय		869.39	790.36	752.90	2,437.14	2,237.05	2,947.18
	(क)	आयकर के लिए प्रावधान						
		चालू वर्ष	965.02	791.18	735.95	2,417.80	2,145.22	2,822.26
		पूर्ववर्ती वर्ष	(13.09)	-0.03	--	-13.12	-0.43	12.11
	(ख)	आस्थगित कर देयता / (आस्थगित कर परिसंपत्ति)	(82.54)	-0.79	16.95	32.46	92.26	112.81
9)	कर पश्चात साधारण कार्यकलापों से निबल लाभ (7-8)		1,949.91	1,873.42	1,582.32	5,535.88	4,853.83	6,113.48
10)	असाधारण मदें (कर संबंधी निबल व्यय - शून्य)		--	--	--	--	--	--
11)	अवधि के लिए निबल लाभ (9-10)		1,949.91	1,873.42	1,582.32	5,535.88	4,853.83	6,113.48
12)	प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी (शेयर का अंकित मूल्य 10		2,640.08	2,640.08	1,320.04	2,640.08	1,320.04	1,320.04

	रू. है)							
13)	पुनर्मूल्यांकन संबंधी आरक्षित निधियों को छोड़कर आरक्षित निधियां (31 मार्च की स्थिति के अंकेक्षित तुलन पत्र के अनुसार)		--	--	--	--	--	34,445.99
14)	प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (अंकित मूल्य प्रत्येक 10 रू.) (वार्षिक आधार पर निर्धारित न किया गया)							
	(क)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों से पहले) (रू. में)	7.39	7.10	5.99	20.97	18.39	23.16
	(ख)	आधारभूत और तनुकृत ईपीएस (असाधारण मदों के बाद) (रू. में)	7.39	7.10	5.99	20.97	18.39	23.16
वित्तीय परिणामों के साथ संलग्न टिप्पणियों को देखें								
टिप्पणियां:-								
1	दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अविध के लिए उपर्युक्त वित्तीय परिणामों की समीक्षा और सिफारिश निदेशकों की लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और उनकी दिनांक 13.02.2017 को आयोजित की गई संगत बैठकों में निदेशक मंडल द्वारा इन्हें अनुमोदित किया गया है। ये वित्तीय परिणाम संयुक्त सांविधिक लेखापरीक्षकों अर्थात मैसर्स के. बी. चांदना एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट और मैसर्स एम. के. अग्रवाल एंड कंपनी, चार्टर्ड एकाउंटेंट द्वारा की गई सीमित समीक्षा के अध्यधीन हैं।							

2	उपर्युक्त पैरा 2(क) में उल्लिखित ब्याज, वित्तीय और अन्य प्रभारों में निम्नलिखित के संदर्भ में किए गए प्रावधान शामिल हैं : (i) चालू तिमाही के लिए गैर – निष्पादन परिसंपत्ति प्रावधान – 519.19 करोड़ रूपए और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए 475.50 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए क्रमश: 233.27 करोड़ रूपए और 292.00 करोड़ रूपए) है। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार सकल रूप से गैर निष्पादन परिसंपत्तियों की राशि - 7,302.67 करोड़ रू. (31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 7,520.21 करोड़ रूपए) है। (ii) मानक परिसंपत्तियों की बकाया राशि पर चालू तिमाही के लिए मानक परिसंपत्ति प्रावधान – 32.02 करोड़ रूपए और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए 80.00 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए क्रमश: 7.90 करोड़ रूपए और 318.26 करोड़ रूपए) है। (iii) चालू तिमाही के लिए पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति प्रावधान - 36.93 करोड़ रूपए और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए 66.26 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह की अवधि में क्रमश: 244.79 करोड़ रूपए और 461.77 करोड़ रूपए) है। दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार विद्युत मंत्रालय (एमओपी) द्वारा अनुमोदित सर्वोच्च शर्तों के अनुसार बकाया अर्हक पुनर्गठन/ पुनर्अनुसूचियन / पुन: मोलभाव (आर/आर/आर) ऋण की राशि निजी क्षेत्र के लिए 20,983.14 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 8,443.63 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार निजी क्षेत्र के लिए 21,479.20 करोड़ रूपए और सरकारी क्षेत्र के लिए 10,783.78 करोड़ रूपए), और

	(iv) चालू तिमाही के लिए निवेश के मूल्य में कमी के लिए प्रावधान शून्य है और दिनांक 31.12.2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए 27.02 करोड़ रूपए (संगत पिछली तिमाही और नौ माह की अवधि में क्रमश: 3.07 करोड़ रूपए और 40.19 करोड़ रूपए) है। जहां तक आरबीआई की शर्तों के अनुसार मानक परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान का संबंध है, तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है और इसके तहत प्रावधान को दिनांक 31.03.2016 को 0.30% से बढ़ाकर 31.03.2017 तक 0.35% तक करने की अपेक्षा है। तदनुसार दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश: 25.62 करोड़ रूपए और 75.27 करोड़ रू. तक घट गया है। जहां तक आर/आर/आर ऋणों का संबंध है, जिनके संबंध में आरबीआई की शर्तों के अनुसार पुनर्गठन संबंधी प्रावधान लागू होते हैं, तो चालू वर्ष के लिए लेखांकन नीति को दिनांक 30.06.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान परिवर्तित किया गया है, और इसके लिए प्रावधान को 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 3.50% से बढ़ाकर 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार 4.25% तक बढ़ाने की आवश्यकता है। तदनुसार दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए प्रो-राटा आधार पर प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश: 52.41 करोड़ रूपए और 165.53 करोड़ रूपए तक घट गया है।
3	(i) चालू वित्तीय वर्ष से कंपनी ने नीचे दिए गए पैराओं के साथ पठित, समय-समय पर यथा संशोधित 'गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी- व्यवस्थित ढंग से महत्वपूर्ण गैर जमा स्वीकारकर्ता और जमा स्वीकारकर्ता कंपनी (रिजर्व बैंक) निदेश, 2016' में निहित आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों को अपनाया है। (ii) आरबीआई की परिसंपत्ति वर्गीकरण संबंधी शर्तों के प्रचालन हेतु कंपनी ने अपने दिनांक 13.08.2015 और 13.01.2016 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपनी समझ के

	बारे में सूचित किया है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रावधान किया गया है कि: क) ऋण परिसंपत्तियों (पट्टे पर परिसंपत्तियों को छोड़कर), जो 31.03.2017 को देय हैं और 4 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अधिदेय हैं, को गैर निष्पादन वाली परिसंपत्ति (एनपीए) के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान किया गया वर्गीकरण 5 माह या उससे अधिक अवधि के लिए अधिदेय की मौजूदा शर्त के आधार पर होगा, ख) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए, जो 14 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय हैं, को उप मानक परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान ऐसा वर्गीकरण 16 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय एनपीए की मौजूदा शर्तों पर आधारित होगा, और ग) दिनांक 31.03.2017 की स्थिति के अनुसार एनपीए, जो 14 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय हैं, को संदेहास्पद परिसंपत्ति के रूप में वर्गीकृत किया जाएगा और वर्ष के दौरान ऐसा वर्गीकरण 16 माह तक की अवधि के लिए अधिदेय एनपीए की मौजूदा शर्तों पर आधारित होगा। आरबीआई ने अपने दिनांक 03.10.2016 के पत्र के जरिए परिसंपत्ति वर्गीकरण शर्तों के संदर्भ में कंपनी की कार्यान्वयन योजना की पुष्टि की है। तदनुसार अतिरिक्त प्रावधान, यदि कोई है की गणना वर्ष के अंत में की जाएगी। (iii) आर/आर/आर संबंधी शर्तों के लिए आरबीआई ने अपने दिनांक 11.06.2014 के पत्र के माध्यम से पारेषण और वितरण, नवीनीकरण और आधुनिकीकरण तथा परियोजना जीवनकाल विस्तार से जुडी परियोजनाओं और हिमालयी क्षेत्र में स्थित जल विद्युत परियोजनाओं अथवा प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित जल विद्युत परियोजनाओं के लिए तीन वर्ष की अवधि अर्थात 31.03.2017 तक अपनी पुनर्गठन संबंधी शर्तों को लागू करने से छूट प्रदान की है, और यह निर्देश दिया है कि 01.04.2015 से पुनर्गठित उत्पादन कंपनियों के नए परियोजना ऋणों के लिए प्रावधान की आवश्यकता 5% होगी और सभी उत्पादन कंपनियों के लिए 31.03.2015 की स्थिति के अनुसार ऐसे बकाया ऋणों के स्टॉक के लिए दिनांक 31.03.2015 से 2.75% के प्रावधान के साथ प्रोविजनिंग शुरू की जाएगी, जो दिनांक 31.03.2018 तक 5% तक पहुंच जाएगी। (iv) इसके अलावा, आरबीआई के दिनांक 11.06.2014 के दिशानिर्देशों के कार्यान्वयन के लिए कंपनी ने अपने दिनांक 03.07.2014 के पत्र के जरिए आरबीआई को अपने कार्यान्वयन के ढंग के बारे में सूचित किया है, जिसे कंपनी ने अपने दिनांक 27.11.2014 के पत्र के जरिए फिर से दोहराया है और दिनांक 25.07.2016 के पत्र के जरिए रणनीति के कार्यान्वयन के संबंध में आरबीआई से इसकी पुष्टि करने का अनुरोध किया है । आगे पत्राचार के अनुक्रम में अब आरबीआई ने अपने दिनांक 06.12.2016 के पत्र

	के जरिए कंपनी द्वारा अपनायी गई कार्यान्वयन रणनीति को स्वीकार करने में अपनी असमर्थता व्यक्त की है। कंपनी के अनुरोध पर विद्युत मंत्रालय (एमओपी) ने भी अपने दिनांक 26.12.2016 के पत्र के जरिए इस मामले को आरबीआई के साथ उठाया है। इस मामले के संबंध में अभी भी बातचीत की जा रही है। तदनुसार कंपनी आरबीआई को सूचित किए अनुसार कार्यान्वयन के ढंग के अनुरूप आरबीआई की शर्तों का दृढ़ता से एवं लगातार कार्यान्वयन कर रही है।
4	दिनांक 01.04.2016 से लेखांकन नीति को आरबीआई की सर्वोच्च शर्तों के अनुरूप बनाए जाने के कारण : (i) उद्धृत किए गए चालू निवेश का मूल्यांकन पूर्ववर्ती नीति के अनुसार स्क्रिप-वाइज मूल्यांकन की तुलना में श्रेणीवार ढंग से किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश 31.14 करोड़ रूपए और 81.80 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है; (i i) दिनांक 31.03.2016 तक यथालागू 100% एनपीए के साथ '3 वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' होने पर किसी ऋण परिसंपत्ति के रूप में ऋण परिसंपत्ति के वर्गीकरण की नीति को 50% की दर से एनपीए के साथ हानि परिसंपत्ति के बजाय 'संदेहास्पद' के रूप में परिसंपत्ति वर्गीकरण की शर्त द्वारा प्रतिस्थापित माना जाए। तदनुसार, किसी ऋण खाते पर, जो चालू नौ माह की अवधि के दौरान 'तीन वर्ष से अधिक अवधि के लिए संदेहास्पद' के रूप में वर्गीकरण के लिए देय हो जाती है, के लिए आरबीआई की शर्तों के अनुसार प्रावधान किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण चालू तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश: 5.04 करोड़ रूपए और 751.62 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है।

5	दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही और छमाही के दौरान कंपनी ने भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी ''व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन पर मार्गदर्शी नोट'' के अनुरूप संरेखित करने के प्रयोजन से व्युत्पन्न संविदाओं के लिए लेखांकन हेतु अपनी लेखांकन नीति को संशोधित किया है, जो 01.04.2016 से लागू हुई है। मार्गदर्शी नोट के तहत यह आवश्यक है कि व्युत्पन्न संविदाओं की गणना या तो उचित मूल्य के आधार पर की जाए अथवा हेज लेखांकन के अनुसार की जाए और कंपनी ने ऐसे लेखांकन के लिए उचित मूल्य आधार को अपनाया है। तदनुसार, व्युत्पन्न संविदाएं, जो लेखांकन मानक (एएस-11) के अंतर्गत नहीं आती हैं, परंतु मार्गदर्शी नोट के अंतर्गत शामिल हैं, का मापन लाभ और हानि विवरण में मान्यता दिए जा रहे उचित मूल्य में प्रभारों के साथ उचित मूल्य आधार पर किया जाता है। मार्गदर्शी नोट में उल्लिखित संधिकालिक प्रावधानों के अनुसार 74.35 करोड़ रूपए (39.35 करोड़ रूपए की आस्थगित निबल कर देयता) का समायोजन आरक्षित निधियों की अथशेष राशि से किया गया है, जो दिनांक 31.03.2016 तक ब्याज दरों में परिवर्तन के कारण संचित निबल राशि के उचित मूल्य में परिवर्तन के संचित प्रभाव (लाभ) का प्रतिनिधित्व करता है। तत्पश्चात, इसके अलावा, ब्याज दरों में परिवर्तन पर उचित मूल्य लाभ (निबल) को लाभ और हानि विवरण में बुक किया गया है। लेखांकन नीति में इस परिवर्तन के कारण समाप्त होने वाली चालू तिमाही और नौ माह की अवधि के लिए कर पूर्व लाभ क्रमश: 93.43 करोड़ रूपए और 263.77 करोड़ रूपए तक बढ़ गया है।
6	दिनांक 15.04.2015 को कंपनी द्वारा उप मानक के रूप में वर्गीकृत की गई पुनर्गठित ऋण परिसंपत्ति के मामले में ऋणकर्ता ने दिनांक 17.06.2015 के आदेश के जरिए माननीय उच्च न्यायालय, मद्रास से इस संबंध में अग्रिम कार्रवाई पर अंतरिम स्टे प्राप्त कर लिया है। कंपनी ने परिसंपत्ति वर्गीकरण के संबंध में एक कानूनी दृष्टिकोण प्राप्त किया था, जिसके आधार पर ऋण परिसंपत्ति को पुनर्गठित उप मानक परिसंपत्ति के बजाय पुनर्गठित मानक परिसंपत्ति के रूप में पुन: वर्गीकृत किया गया और पुनर्वगीकरण की तारीख तक खाते में किए गए 33,999 लाख रूपए की राशि वाले एनपीए प्रावधान को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रत्यावर्तित किया गया। मामला न्यायालय के विचाराधीन है और अंतरिम स्टे जारी है। प्राप्त किए गए उत्तरवर्ती कानूनी दृष्टिकोण के आधार पर कंपनी ने 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार परिसंपत्ति का वर्गीकरण मानक के रूप में बनाए

	रखा है और परियोजना की आगामी प्रगति के उद्देश्य से चालू तिमाही के दौरान भी इसके लिए वही दर्जा जारी रखा गया है। पूर्ववर्ती वर्ष में खाते के पुनर्वर्गीकरण के पश्चात (i) ब्याज से होने वाली 838.39 करोड़ रूपए की आय को अधिदेय होने के कारण वास्तविक आधार पर मान्यता दी गई है (जिसमें चालू तिमाही के दौरान 172.08 करोड़ रूपए और दिनांक 31.12..2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के दौरान 509.61 करोड़ रूपए और पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान 328.78 करोड़ रूपए की राशि शामिल है)। संगत पूर्ववर्ती तिमाही और नौ माह की अवधि के दौरान अधिदेय होने के फलस्वरूप वास्तविक आधार पर स्वीकार की गई ब्याज से होने वाली आय क्रमश: 153.05 करोड़ रूपए और 180.44 करोड़ रूपए है। (ii) मौजूदा परिसंपत्ति वर्गीकरण पर आधारित यथा लागू प्रावधान किया गया है, जो दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 130.83 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार 148.82 करोड़ रूपए) है । (iii) उपर्युक्त (ii) में उल्लिखित प्रावधान पर विचार करने के पश्चात दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार 4,264.23 करोड़ रूपए की बकाया ऋण राशि पर संदेहास्पद के रूप में खाते को मानते हुए किए गए प्रावधान को मान्यता नहीं दी गई है, जो कि 722.01 करोड़ रूपए है। दिनांक 30.06.2016 को कंपनी ने एड-अंतरिम स्टे आदेश को निरस्त करने के लिए एक याचिका दायर की है। उपर्युक्त याचिका सुनवाई के लिए लंबित है।
7	चालू तिमाही के दौरान फतेहगढ़-भाडला पारेषण लिमिटेड, एक एसपीवी की स्थापना पीएफसी कंसल्टिंग लिमिटेड (कंपनी के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी) के पूर्ण स्वामित्व वाली एक सहायक कंपनी के रूप में की गई है।
8	कंपनी दीर्घावधि विदेशी मुद्रा वाली धन संबंधी मदों पर उनकी कार्यावधि के दौरान विनिमय संबंधी अंतर को ऋणमोचित करती है। तत्पश्चात दिनांक 31.12.2016 की स्थिति के अनुसार विदेशी मुद्रा धन संबंधी मद परिवर्तन अंतर खाता (एफसीएमआईटीडीए) के तहत ऋणमोचित डेबिट बैलेंस 565.81 करोड़ रूपए (दिनांक 31.03.2016 की स्थिति के अनुसार डेबिट बैलेंस 739.74 करोड़ रूपए) है ।

9	दिनांक 30.09.2016 को समाप्त तिमाही के दौरान बोनस शेयर जारी करने के फलस्वरूप प्रति शेयर अर्जन (ईपीएस) (आधारभूत और तनुकृत) को प्रस्तुत की गई सभी अवधियों के लिए समायोजित कर दिया गया है।
10	कंपनी द्वारा जारी किए गए सभी सुरक्षित बांड और दिनांक 31.12.2016 को बकाया राशियों के लिए विशेष अचल संपत्तियों को बंधक बनाकर और/अथवा कंपनी को प्राप्त होने वाले प्रभार के रूप में 100% सुरक्षा कवर बनाए रखा गया है।
11	व्यापार खंड की पहचान निदेशक मंडल और प्रबंधन ढांचे को आंतरिक वित्तीय रिपोर्टिंग के लिए अपनाई गई प्रणाली के अनुसार की जाती है। कंपनी का प्राथमिक व्यवसाय विद्युत क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है, जिसे लेखांकन मानक-17 के संदर्भ में केवल प्राथमिक व्यापार खंड के रूप में माना जाता है। अतः इस संबंध में खंडात्मक रिपोर्टिंग आवश्यक नहीं है।
12	संवर्ती अवधि के वर्गीकरण की पुष्टि के लिए आवश्यक होने पर पूर्ववर्ती अवधि के लिए आंकड़ों को पुनः समूहबद्ध / पुनः वर्गीकृत किया गया।
13	दिनांक 31.12.2016 को समाप्त तिमाही के लिए आंकड़े दिनांक 31.12.2016 को समाप्त नौ माह की अवधि के लिए अनंकेक्षित आंकड़ों और दिनांक 30.09.2016 को समाप्त छमाही के लिए अनंकेक्षित आंकडों के बीच संतुलित आंकड़े हैं।

	राजीव शर्मा
स्थान : नई दिल्ली	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक
दिनांक : 13.02.2017	डीआईएन - 00973413